E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.शि.बो./नि(शै) 2014 **दिनांक : 20 मार्च 2014**

परिपत्र संख्या-अका. 11/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय: कक्षा नवीं/दसवीं के शिक्षार्थियों का शैक्षिक सत्र 2013-2014 में द्वितीय आवधिक आकलन हेतु साक्ष्यों का सत्यापन

प्रिय प्रधानाचार्य,

किसी भी शिक्षा तंत्र की सफलता की कुंजी उसके शिक्षार्थियों का प्रभावोत्पादक आकलन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर सुधारों की प्रस्तावना के साथ-साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने शिक्षार्थियों का निष्पक्ष एवम् प्रभावशाली आकलन करने हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह आकलन संगत, व्यावहारिक तथा तनावमुक्त हो जो शिक्षार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास का संचालन करे। विद्यालयी स्तर पर होने वाली आकलन प्रणाली की विश्वसनीयता तथा वैधता को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों से विद्यालयी स्तर पर संचालित होने वाले 'आकलन हेतु साक्ष्यों' को एकत्रित करने तथा सत्यापित करने की शुरुआत की है। इन साक्ष्यों का सत्यापन तथा शिक्षार्थियों को प्राप्त होने वाले अंकों की जाँच बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त किए गए तथा सूचीबद्ध किए गए विषय-मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा की जाएगी। वे जाँच के बाद एक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विद्यालय आधारित आकलन के साथ-साथ इस बात की प्रतिपुष्टि बोर्ड को देगी कि स्कूली स्तर पर सी.सी.ई. योजना भलीभाँति लागू हो रही है।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध किए गए विद्यालयों से निवेदन है कि वे कक्षा नवीं/दसवीं में द्वितीय अवधि (सत्र 2013-2014) के एफ ए-3 तथा सह-शैक्षिक आकलन के साक्ष्य भेज दें। रचनात्मक आकलन में,साक्ष्य सामग्री पाँच विषयों: हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के संबंध में एकत्रित की जाएगी। पिछले सत्रों की भाँति बोर्ड अलग-अलग शहरों में संयोजकों की नियुक्ति करेगा जहाँ चयनित विद्यालयों को अपने आकलन के साक्ष्यों को भेजना होगा।

विद्यालयों से निवेदन है कि वे माइक्रोसाइट http://49.50.126.244/eoa/index.asp पर जाएँ तथा निम्नलिखित हवाले देखें:

1. द्वितीय अवधि में आकलन हेतु साक्ष्य भेजने के लिए चयनित विद्यालयों की विस्तृत सूची (विषय तथा सौंपी गई कक्षा, शहर संयोजकों का विवरण/क्षेत्रीय कार्यालय का विवरण जहाँ साक्ष्य भेजने हैं।)
2. विद्यालय हेतु दिशानिर्देश
3. FAQ's (Frequently Asked Questions)
4. ऑनलाइन सामयिक व्यवस्था हेतु निर्देश

5. आकलन हेतु साक्ष्य से संबंधित एक फ्लो चार्ट
6. गत सत्रों में किए गए विश्लेषण सारांश सहित
7. विद्यालयों द्वारा अपनाई गई उत्तम कार्यप्रणालियाँ

साक्ष्य भेजने हेतु नमूनों का चयन

आकलन हेतु साक्ष्य के लिए तीन श्रेणियाँ बनाई जाएँगी जिन्हें उच्च, मध्य तथा निम्न में बाँटा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए रचनात्मक आकलन में से पाँच-पाँच शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा:

1. एफ ए-3 में कक्षा नवीं/दसवीं के शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें।
2. कुल शिक्षार्थियों को तीन समूहों में निम्न प्रकार से विभाजित करें:
    क. उच्च एक-तिहाई शिक्षार्थी
    ख. मध्य एक-तिहाई शिक्षार्थी, तथा
    ग. निम्न एक-तिहाई शिक्षार्थी।

उदाहरण: यदि किसी विद्यालय में कक्षा नवीं/दसवीं में कुल 100 शिक्षार्थी हैं तो उन्हें प्राप्तांक के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तथा उन्हें तीन समूहों में 33, 33, 34 करके विभाजित कर लें।

3. पहले समूह में से प्रथम पाँच शिक्षार्थियों को चुनें, तीसरे समूह से अंतिम पाँच शिक्षार्थी चुनें तथा मध्य समूह से किन्ही पाँच शिक्षार्थियों को चुन लें।
4. इस प्रकार पंद्रह शिक्षार्थियों का यह समूह ही आपके लिए वह नमूना है जिसके संदर्भ में 'आकलन हेतु साक्ष्य' आपको भेजने हैं।

इस प्रकार, आपका विद्यालय; यदि चयनित हो, तो पंद्रह शिक्षार्थियों के आकलन संबंधी साक्ष्यों को जमा करेगा। यह एक विषय तथा एक कक्षा पर ही लागू होगा जिसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी जाएगी।

संलग्न हेतु नमूनों के प्रकार

रचनात्मक आकलन

विद्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्देशित विषय के संदर्भ में एफ ए-3 के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों का विस्तृत ब्योरा तथा अंकों का विभाजन और आकलन के मापदण्ड के तरीके से संबंधित विवरण भी भेजने होंगे। यदि 'आकलन हेतु साक्ष्य' की प्रकृति इस प्रकार की है जैसे: संगोष्ठी, समूह-परिचर्चा, मॉडल, चार्ट आदि तथा जिसे सत्यापन हेतु नहीं भेजा जा सकता तो ऐसी स्थिति में अध्यापक क्रियाकलाप के लिए दिए गए अंक के साथ एक संक्षिप्त आलेख भी भेजेंगे। (इस संदर्भ में संलग्नक-II, संक्षिप्त आलेख प्रारुप को देखें।) इस आलेख में शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से की गई गतिविधियों की विस्तृत जानकारी, कार्य करने हेतु अपनाई गई रणनीति तथा आकलन हेतु अपनाए गए मापदण्ड को शामिल किया जाएगा। विद्यालयों को केवल ऐसे क्रियाकलापों को चुनना है जिनका संबंध एफ ए-3 के लिए दिए जाने वाले ग्रेड निर्धारण करने से है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहाँ तक कक्षा नवीं/दसवीं में एफ ए-4 का संबंध है तो इसके लिए यह स्पष्ट है कि हिंदी या अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जैसे विषयों में इसका स्थान समस्या समाधान आकलन(पीएसए) ने ले लिया

है। पी.एस.ए. के लिए दिए गए अंक भी आकलन हेतु साक्ष्य के प्रारूप में ही दर्शाए जाएँगें। चूँकि, पी एस ए के ओ एम आर पत्र पहले से ही बोर्ड के पास उपलब्ध हैं अत: इस संदर्भ में अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं है।

★ **कक्षा नवीं में केवल मुख्य विषयों में (मुक्त पाठ आधारित आकलन) संकलित आकलन**

विद्यालयों को संकलित आकलन के संदर्भ में साक्ष्य भेजने की आवश्यकता नहीं हैं। तथापि, मुक्त पाठ आधारित आकलन (कक्षा नवीं) से संबंधित साक्ष्य विद्यालयों को भेजने होंगे। इसके लिए विद्यालयों को निर्धारित विषय से संबंधित प्रश्न पत्र (के.मा.शि.बो. द्वारा प्राप्त किए गए) के साथ मुक्त पाठ आधारित आकलन संबंधी प्रश्नों के उत्तर की छायांकित प्रतियाँ भेजनी होंगी। ये उत्तर प्रतियाँ ऐसे पंद्रह शिक्षार्थियों की होंगी जिन्हें एफ-ए नमूने लेने के लिए चयनित किया गया है।

★ मुक्त पाठ आधारित आकलन संबंधी साक्ष्य उन विद्यालयों को भेजना बाध्य नहीं है जिनसे कक्षा दसवीं के साक्ष्य भेजने को कहा गया है।

- सह-शैक्षिक आकलन

सह-शैक्षिक आकलन के संदर्भ में विद्यालयों से निवेदन है कि वे चयनित पंद्रह शिक्षार्थियों से संबंधित आलेख, छाया चित्र, आख्यान संबंधी ब्योरे, चार्ट, कविताएँ, उनके प्रदर्शन की सीडी भेजें। जीवन कौशल को प्रकट करने वाले क्रियाकलापों और आकलन के मापदण्डों आदि का उल्लेख भी अवश्य करें। (आलेख के प्रारुप हेतु संलग्नक-II देखें।)

क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय से सूचना प्राप्त होने के प्रश्चात्, विद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्पष्ट किए गए विषय से संबंधित आकलन हेतु साक्ष्य के साथ सह-शैक्षिक आकलन स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से (विद्यालय द्वारा लागत वहन कर) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/शहर संयोजक तक 30 अप्रैल, 2014 तक भेज दें। यह नितांत आवश्यक है कि भेजे जाने वाले साक्ष्यों की जाँच सूची अलग से भेजें। (संलग्न I तथा III) यह तथ्य ध्यान देने योग्य है विद्यालयों को शैक्षिक सत्र में केवल एक बार ही साक्ष्यों को भेजने के लिए कहा जाएगा।तथापि बोर्ड निम्न अंकों वाले विद्यालयों से प्रथम अवधि, 2013-14 (जिन विद्यालयों में प्रतिपुष्टि के आधार पर 21 अंकों से कम अंक मिले हैं), तथा जिन विद्यालयों ने पिछले सत्र से संबंधित आकलन हेतु साक्ष्य नहींभेजें हैं उन्हें साक्ष्य फिर से भिजवाने होंगे। किसी भी शंका या प्रश्न की जानकारी के लिए आप अपर निदेशक/एसोसिएट-प्रोफेसर श्रीमती सुगंध शर्मा से फोन नम्बर 011-23220155 या ई मेल sugandh.cbse@live.com पर एक प्रति प्रोफेसर एवं निदेशक (शै.अ.प्र.व न.) sadhanap.cbse@nic.in को भेज कर भी संपर्क कर सकते हैं।

भवदीया

डॉ. साधना पाराशर
निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण/नवाचार)

संलग्नक :
संलग्नक 1: शिक्षार्थी डाटा एकत्रित करने हेतु सूची
संलग्नक 2 : आलेख का प्रारुप (रचनात्मक आकलन/सह-शैक्षिक आकलन)
संलग्नक 3 : भेजे जाने वाली वस्तु सामग्री/पैकेट के विवरण संबंधी सूची
संलग्नक 4 : आकलन हेतु साक्ष्य की पैकेजिंग तथा प्रेषण की प्रणाली
संलग्नक 5 : सी सी ई आकलन 2013-14 की प्रेषण पावती

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिटूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारीयों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण/नवाचार)